दिल्ली विधान सभा सचिवालय समाचार भाग-2

विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी, वृहस्पतिवार ४ नवम्बर, 2010/ कार्तिक 13, 1932 (शक)

संख्या-96

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की चौथी विधान सभा के छठे सत्र का प्रारंमः

माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की चौथी विधान सभा का छठा सत्र मंगलवार दिनांक 23 नवम्बर, 2010 को अपराह्न 2.00 बजे से विधान सभा सभागार, पुराना सचिवालय, दिल्ली में प्रारंभ होगा।

छठे सत्र के दौरान कार्य निष्पादन के लिये दिनों का आबंटनः

कार्य निष्पादन हेतु विधान सभा की बैठकें अस्थायी तौर पर 23,25,26,29,30 नवम्बर, एवं 01 दिसम्बर 2010 के लिए निधारित की गई है।

विधान समा की बैठकों का समयः

जब तक कि अध्यक्ष महोदय अन्यथा निर्देश न दें, विधान सभा की बैठकें अपराह्न 2.00 बजे से प्रारम्भ होगी और तब तक चलेगी जब तक उसे उस दिन के लिये स्थगित न कर दिया जाये।

प्रश्नों की सूचनाएं एवं बैलेटः

छठे सत्र के लिये प्रश्नों की सूचनाए तत्काल प्रभाव से प्राप्त होगी।

छठे सत्र के दौरान प्रश्नों का उत्तर देने के लिये दिनों का आवंटन नियम-37,

मंत्रियों द्वारा छठे सत्र में विभिन्न विभागों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने लिए निम्नानुसार दिनों को निधारित किया गया है :--

क्र. सं.	विभाग	बैठक की तिथि	कॉलम—2 में दर्शाये विभागों से संबंधित प्रश्नों के नोटिस प्राप्त करने की तिथि अप.3.00 बजे तक	मौखिक रूप से पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्राथमिकता निर्धारित करने के लिए बैलटिंग की तिथि अप 5.00 बजे तक
1	2	3	4	. 5
1	अ.जा/अ.जन.जा. व अ.पि.वर्ग, खाद्य एवं संभरण, सेवाएं, प्रशासनिक सुधार, कला एवं	23.11.2010 मंगलवार	10.11.2010 बुधवार	10.11.2010 बुधवार
	संस्कृति भाषा, जल, भागीदारी, राष्ट्रमंडल खेल,			
2	परिवहन, लोक निमार्ण एवं आवास, विकास, गुरूद्वारा प्रशासन एवं चुनाव,	25.11.2010 वृहस्पतिवार	11.11.2010 वृहस्पतिवार	11.11.2010 वृहस्पतिवार
3	विधि, न्याय एवं विधायी कार्य, राजस्व, शहकारिता, खाद्य अपमिश्रण, शिक्षा,	26.11.2010 शुक्रवार	12.11.2010 शुक्रवार	12.11.2010 शुक्रवार
4	समाज कल्याण, महिला एवं बाल कल्याण, ऊर्जा, पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव, पर्यटन, रोजगार,	29.11.2010 सोमवार	15.11.2010 सोमवार	15.11.2010 सोमवार
¥2	गृह, कारागार, चुनाव,			
5	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, श्रम, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण,	30.11.2010 मंगलवार	16.11.2010 मंगलवार	16.11.2010 मंगलवार
6.	शहरी विकास, मनोरंजन, वित्त आबकारी, व्यापार एवं कर, सूचना प्रोद्योगिकी, योजना,	01.12.2010 बुधवार	16.11.2010 मंगलवार	16.11.2010 मंगलवार
a	सूचना एवं प्रचार, जन सम्पर्क, सामान्य प्रशासन, उच्च शिक्षा, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा, सतर्कता, भूमि एवं भवन, उद्योग,			

टिप्पणी

- 1. प्रश्न सामान्यतः एक ही विभाग से संबंधित होने चाहिए (नियम-31(XXii)
- 2. माननीय सदस्य कृपया ध्यान दें कि कालम 3 और 4 के अनुसार यदि विभिन्न विभागों से संबंधित किसी प्रश्न की सूचना अंतिम तिथि और समय के पश्चात प्राप्त होगी तो ऐसी सूचना अस्वीकृत मानी जायेगी। सूचनाएं प्राप्त करने का समय अपराह्न 3.00 बजे तक है।
- उहां प्रश्न में किसी राष्ट्रीय अथवा स्थानीय दैनिक समाचार—पत्र में प्रकाशित किसी समाचार का हवाला दिया जाये, वहां ऐसे प्रश्न को ग्राह्य बनाने हेतु उसके साथ संबंधित समाचारों की कतरन नत्थी करना आवश्यक है। इस तरह के जिन प्रश्नों के साथ संबंधित समाचारों की कतरनें नत्थी नहीं की जायेगी, उन्हें अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
- 4. प्रश्नों को संयुक्त केवल उसी स्थिति में किया जायेगा, जब एक ही तरह के विषय पर बहुत से प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त होगी। बाद में प्राप्त की गई सुचनाएं, यदि उसी विषय से संबंधित होगी तो उन्हें (नियम —31(Vii)) के अंतर्गत अस्वीकार कर दिया जायेगा।
- 5 माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे प्रश्नों पर अपनी प्राथमिकता का संकेत स्पष्टता और सफाई से दें। यदि प्राथमिकता का संकेत नहीं दिया जाता है तो प्राथमिकता का निर्णय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
- 6. प्रश्नों की बैलेटिंग सचिव, विधान सभा के कक्ष, कमरा नं. 54 में दिए गये समयानुसार की जायेगी। सभी माननीय सदस्य बैलेटिंग में सिम्मिलत होने के लिए आमंत्रित है।
- 7. माननीय सदस्य कृपया ध्यान दें कि दिल्ली नगर निगम के दैनिक प्रशासन और कार्यकलापों से संबंधित सूचनाएं न दी जाएं। ऐसे प्रश्नों को नियम —31(Viii) के अंतर्गत अस्वीकार कर दिया जायेगा।

नियम 280 के अन्तर्गत विशेष उल्लेखः

जो माननीय सदस्य नियम 280 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के मामलों को जिस दिन/तिथि को उठाना चाहते हैं, प्रस्तावित विषय की सूचना उसी दिन पूर्वाह्न 11.00 बजे तक दे सकते हैं। प्रथम 10 सूचनाओं की प्राथमिकता निधारित करने हेतु बैलेटिंग प्रत्येक दिन पूर्वाह्न 11.15 बजे सचिव, विधान सभा के कक्ष में की जायेगी। माननीय सदस्यों से बैलेटिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अनुरोध किया जाता है।

माननीय सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे विशेष उल्लेख के पाठ को केवल 8—10 लाइनों तक ही सीमित रखें और सदन में उस विषय को उठाते समय केवल मूल पाठ ही पढें। विषय केवल एक ही विभाग एवं एक मुद्दे से संबंधित होना चाहिए। विधान सभा सचिवालय संबंधित विभाग को प्रायः उल्लेख के पाठ को ही अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजता है।

गैर सरकारी सदस्यों का कार्यः

शुक्रवार 26 नवम्बर, 2010 को होने वाली सदन की बैठक की तिथि गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों के लिए आवंटित की गयी है। गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों की सूचनाएं प्राप्त करने की अंतिम तिथि बुधवार 10 नवम्बर, 2010 को अपराह्न 3.00 बजे तक है एवं उसी तारीख को अपराह्न 4.30 बजे सचिव, विधान सभा के कमरें में बैलेटिंग होगी। माननीय सदस्यों का बैलेटिंग में भाग लेने के लिए स्वागत है।

नोटिसों की प्रकिया

माननीय सदस्यों का ध्यान दिल्ली विधान सभा की प्रक्रिया एवं संचालन नियम 258 क

की ओर आकर्षित किया जाता है, जो इस प्रकार है:-

नियमों द्वारा अपेक्षित प्रत्येक सूचना लिखित रूप में सचिव को सम्बोधित करते हुए 1. दी जायेगी और सूचना देने वाले सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित की जायेगी जिसमें उसकी विभाजन संख्या भी दर्शायी जायेगी तथा कार्यालय में ही दी जायेगी जो इस प्रयोजन के लिये शनिवार, रविवार या सार्वजनिक छट्टी के दिनों को छोडकर प्रत्येक दिन समय पर अधिसूचित किये जाने वाले समय के लिये खुला रहेगा।

सूचना कार्यालय में उप-नियम 1 के अंतर्गत अधिसूचित समय के बाद प्राप्त हुई 2. 可.

सूचनाएं अगले कार्य दिवस के लिये दी समझी जायेगी।

नोटिस देने वाले माननीय सदस्य को प्रत्येक सूचना पर मत विभाजन संख्या अंकित ख करते हुए बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखकर स्याही से हस्ताक्षार करने चाहिए और उसे विधान सभा के नोटिस कार्यालय कमरा नंबर 46 में जमा करना चाहिए।

विधान सभा के नोटिस कार्यालय में दिये गये सभी नोटिसों पर तिथि की मुहर और

नोटिस प्राप्त करने का समय भी अंकित किया जाता है।

विधान सभा का नोटिस कार्यालय ही माननीय सदस्यों की सूचनाओं को बिना विलम्ब घ किये सम्बद्ध शाखाओं / अधिकारियों तक प्रेषित करने के लिए उत्तरदायी है। अतएव, माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि अपनी सूचनाएं न तो सदन पटल पर रखें और न ही विधान सभा के किसी अन्य अधिकारी / शाखा को दें यदि कोई सदस्य ऐसा करता है तो उनके द्वारा दिये गये नोटिस पर कोई ध्यान नहीं दिया जायेगा।

विधान सभा नोटिस कार्यालय द्वारा नोटिसों को प्राप्त करने के लिए विनिर्दिष्ट समय ड. उनके लिए उल्लिखित तिथियों को प्रातः 10.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे के बीच है। माननीय सदस्यों की सुविधा हेतु नोटिस ऑफिस, कार्यालय समय के दौरान खुला

रहेगा।

ग

दर्शक दीर्घा प्रवेश पत्र

माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार दर्शक दीर्घा के प्रवेश पत्र जारी करने के आवेदन—पत्र जिस दिन के लिए प्रवेश पत्र चाहिए, उस दिन से पूर्व एक कार्य दिवस को अपराहन 5.00 बजे तक अवश्य प्रस्तुत किये जायें। उदाहरणार्थ 23.11.2010 को होने वाली सदन की बैठक के लिए दर्शक दीर्घा के लिये आवेदन पत्र पूर्व कार्यदिवस अर्थात 22.11.2010 को अपराहन 5.00 बजे तक स्वीकार किये जायेंगें। इसी प्रकार अनुवर्ती तिथियों के दीर्घा प्रवेश पत्रों के लिये आवेदन पत्रों पर कार्यवाही की जायेगी और वे इसी प्रकार से स्वीकार किये जाएंगें।

दर्शक दीर्घा में बैठने के लिए सीमित स्थान होने के कारण एक सदस्य को प्रत्येक बैठक के लिए दो से अधिक प्रवेश पत्र जारी नहीं कियें जायेगें। दर्शक दीर्घा के लिए प्रवेश पत्र सामान्यतः उसी दिन जारी नहीं किये जायेगें।

माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे केवल उन्ही दर्शकों की सिफारिश करें जिनके चरित्र के बारे में वे भलीं भांति जानते हैं।

टिप्पणी:

कृपया मोबाइल फोन आदि सदन के बाहर ही रखें। यदि किसी कारणवश सदन में ले आये हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि सदन में उनका स्विच बंद रहें।

> पी.एन.मिश्रा सचिव

चतुर्थ विधान सभा छठे शीतकालीन सत्र की बैठकों का अस्थायी तिथि—पत्र

क.स.	बैठक की तिथि	दिन	कार्य
1.	23 नवम्बर, 2010	मंगलवार	सरकारी कार्य
	24 नवम्बर, 2010	बुधवार	बैठक नहीं होगी
2.	25 नवम्बर, 2010	बृहस्पतिवार	सरकारी कार्य
3.	26 नवम्बर, 2010	शुक्रवार	गैर सरकारी सदस्यों का कार्य
	27 नवम्बर, 2010	शनिवार	अवकाश
	28 नवम्बर, 2010	रविवार	अवकाश
4.	29 नवम्बर, 2010	सोमवार	सरकारी कार्य
5.	30 नवम्बर, 2010	मंगलवार	सरकारी कार्य
6.	01 दिसम्बर, 2010	बुधवार	सरकारी कार्य

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative & other matters)
Thursday,4th November, / Kartik 13, 1932 (Saka)

No. 95

COMMENCEMENT OF THE SIXTH SESSION OF THE FOURTH LEGISLATIVE ASSEMBLY OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI:

Hon'ble Members are informed that the Sixth Session of the Fourth Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi will commence on Tuesday, the 23rd November, 2010 at 2.00 P.M. in the Assembly Hall, Old Secretariat, Delhi.

ALLOTMENT OF THE DAYS FOR THE TRANSACTION OF BUSINESS DURING SIXTH SESSION:

The sitting of the Legislative Assembly for the transaction of business have been tentatively fixed for 23rd, 25th, 26th, 29th, 30th November and 1st December, 2010.

TIME OF SITTING:

The sitting of the Legislative Assembly shall commence at 2.00 P.M. and continue till it is adjourned for the day.

NOTICES OF QUESTIONS:

Notices of questions for the Sixth Session will be received with immediate effect.

ALLOTMENT OF DAYS FOR ANSWERING QUESTIONS DURING THE SIXTH SESSION (RULE

For the Sixth Session the days for answering questions by Ministers in respect of various Departments have been arranged so far as under:

SI. No.	Group of Departments	Date of Sitting	Last date for receipt of questions for the Department in col. 2 (Up to 3.00 PM)	Date of holding ballot for determination of priority for oral questions (At 5.00 PM)
1	2	3	4	5
1.	Welfare of SC/ST/OBC, Food & Civil Supplies, Services, Administrative Reforms, Art & Culture, Languages, Water, Bhagidari, Commonwealth Games	23 rd Nov, 10 Tuesday	10 th Nov, 10 Wednesday	10 th Nov, 10 Wednesday
2	Transport, PWD & Housing, Development, Gurudwara Administration and Elections	25 th Nov, 10 Thursday	11 th Nov, 09 Thursday	11 th Nov, 10 Thursday
3	Law, Justice & Legislative Affairs, Revenue, Cooperative, Prevention of Food Adulteration, Education	26 th Nov, 10 Friday	12 th Nov, 10 Friday	12 th Nov, 10 Friday
4	Social Welfare, Women & Child Welfare, Power, Environment, Forest & Wildlife, Tourism, Employment, Home, Jail,	29 th Nov, 10 Monday	15 th Nov, 10 Monday	15 th Nov, 10 Monday
5	Election Medical & Public Health, Health and family Welfare, Labour, Irrigation & Flood Control	30 th Nov, 10 Tuesday	16 th Nov, 10 Tuesday	16 th Nov, 10 Tuesday
6	Urban Development, Entertainment, Finance, Excise, Trade & Taxes, Information Technology, Planning, Information & Publicity, Public Relations, General Admn. Deptt. (GAD), Higher Education, Training & Technical Education, Vigilance, Land & Building, Industries	1 st Dec, 10 Wednesday	16 th Nov, 10 Tuesday	16 th Nov, 10 Tuesday

Note:

1. The question should primarily relate to one Department only {(Rule 31 (xxii)}.

2. Hon'ble Members may kindly note that if notice of question is received after the last date and time in respect of various departments vide col. No. 3 and 4, such a notice shall stand disallowed. The time for receipt of notices shall be upto 3.00 P.M. on the last date of receipt of questions for departments as shown in column 4 above.

3. Where the questions draw a reference to a news item published in a national or local daily, the question in order to be admissible must be accompanied by the relevant clipping of the news items. The questions not accompanied by relevant clippings are likely to be

disallowed.

4. The clubbing of questions will be done in case several notices of question on the same subject matter are received. Notices or questions subsequently received and repeating in substances the same subject-matters are liable to be disallowed {(Rule 31(vii)}.

5. Hon'ble Members are requested to indicate clearly and legibly their priority in respect of questions. If no priority is indicated, the same will be decided according to the Rules.

6. Ballot will be held in the room of the Secretary (Room No.-54) as per schedule indicated

Hon'ble Members are welcome to participate in the balloting.

7. Members may kindly note that notices of questions relating to day-to-day administration and functioning of Municipal Corporation of Delhi may not be entertained. The Same are liable to be disallowed under Rule 31 (xiii).

SPECIAL MENTIONS UNDER RULE 280:

Hon'ble Members who want to raise matters under Rule 280 may give notice of the same by 11.00 A.M on the date the matter is proposed to be raised. Balloting for fixing inter-se priority for the first 10 notices will be held in the room of the Secretary at 11.15 AM on each day. Hon'ble Members are requested to participate in the balloting.

Hon'ble Members are requested to confine the text of the Special Mention to 8-10 lines only and not to deviate from the original text while raising the same on the floor of the House. The matter should relate to only one Department and raise only one issue.

PRIVATE MEMBER'S BUSINESS:

The sittings of the House to be held on Friday the 26th November, 2010 have been allotted for Private Members Business.

The last date of receipt of notices of Private Member's Bills & Resolutions is Friday the 10th November, 2010 up to 3.00 P.M.

The balloting shall take place at 4.30 P.M on same day in the room of Secretary. Hon'ble Members are welcome to participate in balloting.

PROCEDURE OF NOTICES:

Kind attention of the members is invited to Rule 258 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Legislative Assembly which reads as follows:

Every notice required by the rules shall be given in writing addressed to the Secretary and signed by the member giving notice, also indicating his division number, and shall be delivered in the Notice Officer between such hours as notified from time to time, on every day except Saturdays, Sundays and public holidays.

A notice received in the Notice Office after the hours other than those specified in

sub-rule (1) shall be treated as given on the next working day.

Every notice should be signed in ink by the Member giving the notice, indicating his division number and name in Capital letters and should be deposited in the Assembly Notice Office in Room No.-46

All notice delivered in the Assembly Notice Office are date-stamped and the time of receipt is

also indicated thereon.

As the Assembly Notice Office is alone responsible for transmission of the notices to the Branches/Officers concerned without delay, Members are, therefore, requested not to deposit their notices either at the Table of the House or with any other Officer/Branch of the Assembly Secretariat. If any Members do so, it is not likely to be taken note of.

The Assembly Notice Office shall remain open during office hours.

VISITOR'S GALLERY:

As per direction of Hon'ble Speaker, Application forms for the issue of visitors' gallery passes must be submitted by 5.00 P.M. on the working day previous to the date for which the gallery passes are required. For example, application for the gallery passes meant for sitting of the House on 23.11.2010 will be accepted up to 5.00 PM on the earlier working day i.e., 22.11.2010. Similarly, an application for gallery passes for the subsequent dates would be processed and issued in the like manner.

The seating capacity in the visitors' gallery being limited, not more than two passes shall ordinarily be issued to a member for each sitting. No admission cards for the Visitors Gallery will ordinarily be issued on the same day.

Hon'ble Members are requested to recommend issue of gallery pass only for those visitors whose antecedents are well known to them.

NOTE: - CELLULAR PHONE, PAGERS OR OTHER ELECTRONIC GADGETS ETC. MAY KINDLY BE KEPT OUTSIDE THE HOUSE.

> P.N.Mishra Secretary

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY

Sixth Session

Provisional Calendar of Sittings

Sitting	Date	Day	Business
1.	23 rd Nov, 10	Tuesday	Government Business
0	24 th Nov, 10	Wednesday	No Sitting
2.	25 th Nov, 10	Thursday	Government Business
3.	26 th Nov, 10	Friday	Private Members Day
2 2 4	27 th Nov, 10	Saturday	Holiday
	28 th Nov, 10	Sunday	Holiday
4.	29 th Nov, 10	Monday	Government Business
5.	30 th Nov, 10	Tuesday	Government Business
6.	1 st Dec, 10	Wednesday	Government Business